संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पांचवी मंजिल, सतपुडा भवन, भोपाल - 462004
मेल -nursing.dhs@mp.gov.in दूरभाष 0755-2527165

क्रमांक :— 09/नर्सिंग/सेल—1एस/2019/ 823 भोपाल, दिनॉक 4/7/ 2019

//आदेश//

श्रीमती सरिता मेश्राम, स्टाफ नर्स के पद पर जिला चिकित्सालय बालाघाट में पदस्थ थी। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के आदेश क्रमांक9/नर्सिंग/सेल—1/19/273 दिनॉक 23.02.2019 द्वारा श्रीमती सरिता मेश्राम को जिला चिकित्सालय बालाघाट से युक्तियुक्तकरण के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालाघाट के अधीन पदस्थ किया गया जिससे व्यतथित होकर श्रीमती सरिता मेश्राम ने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष रिट याचिका डब्लू.पी. 7896/2091 प्रस्तुत की जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनॉक 09.05.2019 को याचिका डिस्पोजि करते हुए निम्नानुसार निर्देश दिये :—

petition is disposed of by directing the petitioner to resubmit the said representation (Annexure-P/7) along with copy of this order before the respondent No.3. In turn, the respondent No.3 shall sympathetically consider and decide the representation within 15 working days therefrom. Subject to aforesaid, till decision is taken by the said authority, no coercive action be taken against the petitioner for not joining at the transferred place.

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट याचिका डब्लू.पी. 7896/2091 में दिनॉक 09.05.2019को दिये निर्देश के पालन में श्रीमती सरिता मेश्राम द्वारा उक्त युक्तियुक्तकरण को निरस्त करने के लिये अभ्यावेदन दिनॉक 16.05.2019 प्रस्तुत किया। अभ्यावेदन में सरिता मेश्राम ने लेख किया कि आवेदिका जिला चिकित्सालय बालाघाट में सिविल सर्जन के अधीन अपनी पारिवारिक समस्याओं के कारण स्थानांतरित होकर 10.07.2017 से पदस्थ है। आवेदिका का स्थानांतरण नवीन स्वीकृत पद पर किया गया था ।आवेदिका मातृत्व अवकाश पर है। आवेदिका के पति श्री गौतम मसूरकर आयुर्वेदिक कम्पाउण्डर के पद पर बालाघाट में पदस्थ है। यदि प्रार्थिया को जिले के अंदरूनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में सेवाए देने हेतु आदेशित किया जाता है तो स्वंय प्रार्थिया को समुचित स्वास्थ्य सुविधाए उपलब्ध नही हो पायेंगी और न ही 2 माह के नवजात बच्चे का समुचित पालन पोषण हो पायेंगा । उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत याचिकाकर्ता का स्थानांतरण निरस्त किया जाये।

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन एवं सहपत्रों को संज्ञान में लेते हुए याचिकार्ता को संचालक प्रशासन के समक्ष में दिनॉक 18.06.2019 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया ।

उक्त युक्तियुक्तकरण एच.आर.एम.आई.एस के तहत प्राप्त स्टाफ नर्स की जानकारी के अनुसार जिला चिकित्सालय बालाघाट में 124स्वीकृत पद के विरूद्ध 138 स्टाफ नर्सेस पदस्थ थी अर्थात 14 स्टाफ नर्सेस अतिशेष (अधिसंख्या) में पदस्थ थी । वही दूसरी ओर मुख्य चिकित्साा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन मैदानी स्तर पर 17 स्टाफ नर्स के पद रिक्त थे की पूर्ति के लिये किया गया । क्योकि मैदानी स्तर एवं जिला स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की गतिविधियों के सुसंचालन से आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराने के लिये यह आवश्यक है कि मैदानी एवं जिला स्तंर पर रिक्त पदों को तुरन्त भरा जायें । Last in first out नीति अपनाकर युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही जिले के भीतर ही की गई ताकि

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पांचवी मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल - 462004
मेल -nursing.dhs@mp.gov.in दूरभाष 0755-2527165

जिला चिकित्सालय से अतिशेष स्टाफ नर्स के द्वारा जिले में CH/CHC/PHC में कमी की पूर्ति की जा सकें।

उक्त युक्तियुक्तकरण दिये गये निर्देशों का विधिवत पालन करते हुए स्वास्थ्य आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एव परिवार कल्यााण विभाग मध्यप्रदेश के अनुमोदन के पश्चात किया गया है । स्टाफ नर्स का कार्य–क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश है। आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के दृष्टिगत कोई भी सरकारी कर्मचारी राज्य के अंदर किसी भी जिले में कार्य करने के लिये निर्देशित किया जा सकता है। कोई भी कर्मचारी अपनी इच्छा अनुसार किसी स्थान विशेष पर कार्य करने हेतु प्रशासन को बाध्य नही कर सकता है।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्रीमती सरिता मेश्राम स्टाफ नर्स जिला चिकित्सालय बालाघाट द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनॉक 16.05.2019 नियमानुसार एवं विधि सम्मत नही होने से अमान्य किया जाता है।

(डॉ. जे. विजय कुमार)
संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक 09/सेल–1/2019/824 भोपाल, दिनॉक 4/7/2019
प्रतिलिपिः–

1-प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल

2- महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्चल न्यायालय जबलपुर, मध्यप्रदेश

3- संचालक, लीगल, संचालनालय स्वाशस्वा सेवायें,मध्यप्रदेश

4- क्षेत्रीय संचालक (लीगल) स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग,जबलपुर,मध्यप्रदेश

5- प्रभारी अधिकारी एवं उप संचालक (नर्सिग) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म.प्र.

6- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बालाघाट

7- सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, जिला बालाघाट

8- श्रीमती सरिता मेश्राम, स्टाफ नर्स जिला चिकित्सालय बालाघाट ।

9- प्रभारी एम.आइ.एस., संचालनालय स्वास्थ्से सेवायें, कृपया उक्त आदेश को विभागीय साइड पर तत्काल अपलोड करने का कष्ट करें ।

10-आदेश नस्ती

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(डॉ. जे. विजय कुमार)
संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें